TEN RUPEES

समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प जबलपुर (म0प्र0)

-1-

पुनरीक्षण क्र0 /03 R 1117-III/2004

आवेदक - उदयराज सिंह आ0 सर्वजीत सिंह क्षत्री
निजी चिकित्सक निवासी-गोरखपुर
तह0डिन्डौरी जिला डिन्डौरी (म0प्र0)

विरुद्ध

अनावेदक - म0प्र0शासन द्वारा
कलेक्टर मण्डला (डिण्डौरी)
2. आशाराम वल्द आ0 घासीराम गोंड़
निवासी-ग्राम -मुण्डा तह0डिण्डौरी
जिला -डिण्डौरी (म0प्र0)

राजस्व मण्डल
आ0 क्र0 33
दिनांक 23-2-04

क्रमांक को/प्रा/1397-28
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 23-2-04 को प्राप्त
राजस्व मण्डल

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959.

प्रश्नाधीन आदेश

माननीय कमिश्नर जबलपुर द्वारा अपने न्यायालय प्रकरणक्र. 43/अ-19/2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 8.9.2003 से असंतुष्ट होकर आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:-

1. यहकि, अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर मण्डला के आदेश दिनांक 16.6.95 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है जो कि अपर कलेक्टर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डिण्डौरी के द्वारा प्रदाय पट्टा कोनिरस्त करतेहुए आदेश अनावेदक के पक्ष में जारी करने का आदेशकिया था। परंतु माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा बहुत हीसंक्षिप्त में आदेश पारित करके न्यायिक भूल की है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से प्रकरणको कृषि भूमि आवंटन की प्रक्रिया राजस्व पुस्तक परिपत्र मे समाहित की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के अभिलेख और उनकेआदेश से भूमि का व्यवस्थापन एवं परिवर्तन हेतु प्रकरण विचारित रहा है।

R-417-II/04 (निगरानी)

3-8-16. प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत

आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 43/2001-02 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 2003 के विरुद्ध यह निगरानी आवेदक ने कोरियर डाक से दिनांक 23-2-2004 को राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत की थी।

2/ प्रकरण में पेशी 29-6-2005 को आवेदक की ओर से श्री विश्वास अवस्थी उपस्थित हुये एंव प्रकरण में पेशियाँ लगती रही। पेशी 8-12-05 को आवेदक की ओर से सँजय पटैल अभिभाषक उपस्थित हुये जो 27-4-07 तक उपस्थित होते रहे किन्तु 29-6-07 की पेशी पर उनकी अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ।

दिनांक 25-4-15 को नेशनल लोक अदालत में प्रकरण रखने पर न्यायदान की दृष्टि से प्रकरण पुर्नजीवित कर आवेदक एंव अनावेदक क-2 को सूचना जारी करने का निर्णय लिया गया तथा सूचना पत्र जारी किये गये , किन्तु आवेदक को बार-बार सूचना भेजने के वाद कोई भी उपस्थित नहीं है, फिर भी न्यायदान की दृष्टि से निगरानी में आये तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

3/ आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 43/2001-02 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक

प्र0क0 417-दो/2004 निगरानी

08 सितम्बर, 2003 के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार बजॉग जिला मण्डला ने आवेदक को भूमि आवंटित की। अपर कलेक्टर मण्डल ने नायव तहसीलदार के भूमि बन्टन आदेश का परीक्षण कर आदेश दिनांक 16-6-1995 अंकित किया कि नायव तहसीलदार बजॉग व्दारा किया गया भूमि बंटन अनियमित है जिसे पूर्व में निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-7-90 से निरस्त कर दिया गया है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 16-6-95 के विरूद्ध आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष निगरानी होने पर आदेश दिनांक 08-9-03 में निष्कर्ष दिया गया है कि आवेदक पेशे से चिकित्सक है जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है एंव चिकित्सक होने से कृषि कार्य नहीं करेगा जिसके कारण ग्राम गोरखपुर की भूमि के आवंटन उसे पात्रता नहीं है एंव आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 08-9-03 से निरस्त की है । जब आवेदक भूमि बन्टन का पात्र नहीं है मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है एंव व्यवसाय से चिकित्सक होने के कारण कृषि कार्य न करने का अंदेशा है आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 43/2001-02 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 2003 में निकाले गये निष्कर्ष उचित है जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी के तथ्य सारहीन हैं। अतएव निगरानी इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य